# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी संख्या – 2031/2014/बीकानेर**

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर ........**प्रार्थी**

**बनाम्**

1 श्री मालाराम पुत्र स्व. श्री आसूराम उर्फ आसाराम जाट भादू निवासी श्रीडूंगरगढ़
2 श्रीमती जैठी पत्नी स्व. श्री आसाराम
3 श्रीमती गौरा देवी पत्नी स्व. श्री भैराराम जाति जाट
4 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री भैराराम
5 श्री श्रवण राम पुत्र स्व. श्री भैराराम
6 मीरा पुत्री स्व. श्री भैराराम
7 तुलछी पुत्र स्व. श्री भैराराम
8 शान्ति पुत्री स्व. श्री भैराराम
9 पुष्पा पुत्री स्व. श्री भैराराम
10 उदीदेवी पत्नी स्व. श्री भानीराम
11 रामलाल पुत्र स्व. श्री भानीराम
12 नानूराम पुत्र स्व. श्री भानीराम
13 गोपाल पुत्र स्व. श्री भानीराम
14 चैना राम पुत्र स्व. श्री भानीराम
15 जमना पुत्री स्व. श्री भानीराम
16 किशना पुत्री स्व. श्री भानीराम जाति जाट निवासी श्रीडूँगरगढ़, बीकानेर

........**अप्रार्थीगण.**

**एकलपीठ**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री अनिल पोखरना
**उप–राजकीय अभिभाषक।** ........**प्रार्थी की ओर से.**

श्री एस.के. पुरोहित
**अभिभाषक।** ........**अप्रार्थीगण की ओर से.**

**निर्णय दिनांक : 20.11.2015**

**निर्णय**

यह निगरानी प्रार्थी राजस्व द्वारा विद्वान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर के प्रकरण संख्या 54/2014 में पारित किये गये, आदेश दिनांक 04.06.2014 के विरूद्ध मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

1. निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से अंकित है :–

अप्रार्थीगणों द्वारा एक विभाजन पत्र दिनांक 25.01.2011 को वास्ते पंजीयन रूपये 10,70,000/– की मालियत पर मुद्रांक कर 10,000/– रूपये व पंजीयन शुल्क 10,700/– रूपये प्रस्तुत किया। ए.जी. निरीक्षण अवधि 4/10 से 3/11 ने पाया कि यह सम्पति पैतृक न होकर श्री आसाराम की खरीदशुदा सम्पत्ति है

लगातार ..................2

और जो विभाजन पत्र दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया है वह मुद्रांक कर कन्वेन्स की दर से वसूल योग्य है। अतः उक्त दस्तावेज दिनांक 25.01.2011 को कमी मालियत का मानकर अन्तर कमी मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क राशि जमा हेतु धारा 54 का नोटिस दिये जाने के उपरांत पक्षकारों द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं कराये जाने पर कमी राशि 43,500/–मय शास्ती वसूली हेतु उपपंजीयक ने अधिनियम की धारा 51(2) के तहत कलक्टर के समक्ष रेफरेन्स पेश किया। कलक्टर द्वारा मुद्रांक अधिनियम के आर्टीकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में सम्पत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की कीमत 10,70,000/–होना अवधारित किया तथा इस रेफरेन्स को कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2014 को खारीज कर दिया। कलक्टर के इस आदेश से व्यथित व असन्तुष्ट होकर राजस्व द्वारा यह निगरानी पेश की गई है। कलक्टर के आदेश दिनांक 04.06.2014 के विरूद्ध निगरानी को पेश करने में हुए विलम्ब बाबत् मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. राजस्व की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थीगणों की ओर से श्री एस.के. पुरोहित उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि यह सम्पत्ति पैतृक न होकर खरीदशुदा सम्पत्ति है। जो विभाजन पत्र दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया, उस पर मुद्रांक कर कन्वेन्स की दर से वसूली योग्य है। ए.जी. के निरीक्षण व ऑडिट पेरा बनने के पश्चात् राजस्थान स्टॉम्प एक्ट की धारा 51(2) के तहत उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया, जिसका मालियत 10,70,000/– तथा मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क की राशि 43,500/– रूपये देय बनती है।

4. अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता ने उक्त सम्पत्ति पैतृक मानते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह सम्पत्ति अप्रार्थीगणों को वारिसान के रूप में प्राप्त हुई है। राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.(14)एफडी/टैक्स/डिवी./987–52 दिनांक 09.07.1998 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति के बंटवारानामें पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000/– रूपये मुद्रांक कर लिये जाने की छुट प्रदान की हुई है तथा दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति पैतृक है, इसलिये उक्त अधिसूचना का लाभ देय होता है। अतः निगरानी को निराधार बताते हुए कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में महालेखाकार के जांच दल ने विवादित दस्तावेज की सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानकर ही आक्षेप गठित किया है, न कि खरीदशुदा सम्पत्ति मानते हुए। राजस्व के अधिवक्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि विवादित सम्पत्ति पैतृक नहीं होकर क्रयशुदा है। विवाद का मुख्य बिन्दु राज्य सरकार की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 09.07.1998, चुंकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के प्रभावी होने की तिथि 27.05.2004 से पूर्व से जारी होने के कारण है। अतः अंकेक्षण दल इसे निरसित अधिनियम के तहत जारी होने से अप्रभावी मानकर पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के दस्तावेजों पर कन्वेन्स की दर से ही मुद्रांक कर प्रभारित करने के आक्षेप गठित करते है।

6. कलक्टर (मुद्रांक) ने अपने निर्णय में राज्य सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2010 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है कि नवीन अधिनियम के लागु होने से पूर्व में जारी अधिसूचनायें (छूट सम्बन्धी) वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः उपपंजीयक ने दस्तावेज पंजीयन के समय प्रभावी कानून के अनुसार देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क सही रूप से वसूल कर लिया है। उपपंजीयक के रेफरेन्स को अस्वीकार किया।

7. उक्त विवेचन अनुसार कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर का निर्णय दिनांक 04.06.2014 विधिसम्मत पाया जाता है। राजस्व की निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य